प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वैसे मामले जो 2016-17 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आये थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गयी है।

प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं:-

1. संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा तैयार बजट अनुमानों को बिना कारण बताये मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठकों में एकतरफा वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप कर एवं भिन्न-कर राजस्व के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक भिन्नता थी।

2. 2008-2017 के मध्य निर्गत 851 निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया देने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 12,985.32 करोड़ के बराबर संभावित राजस्व की वसूली नहीं हुई।

3. झारखण्ड द्वारा 2015-16 एवं 2016-17 में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (कर राजस्व का 79 प्रतिशत) से कर-संग्रहण क्षमता पड़ोसी राज्यों एवं अखिल भारतीय औसत से अधिक है। इसी प्रकार झारखण्ड द्वारा खनन प्राप्तियाँ (भिन्न-कर राजस्व का 77 प्रतिशत) की संग्रहण क्षमता पड़ोसी राज्यों की तुलना से अधिक है।

4. वाणिज्यकर (51.37 प्रतिशत), खान एवं भूतत्व (58.52 प्रतिशत), परिवहन (66.53 प्रतिशत) और उत्पाद एवं मद्य निषेध (74.10 प्रतिशत) विभागों में महत्वपूर्ण संवर्गों में मानव शक्ति की कमी से इन विभागों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है।

5. कर निर्धारितियों/ पट्टाधारियों द्वारा दाखिल विवरणियों को विभाग के पास उपलब्ध अन्य अभिलेखों एवं केन्द्रीय/ राज्य सरकारों के विभागों के पास उपलब्ध अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच करने में विभागीय पदाधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 475.72 करोड़ (वाणिज्यकर विभाग), ₹ 133.42 करोड़ (खान एवं भूतत्व विभाग) एवं ₹ 7.73 करोड़ (निबंधन विभाग) के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ।

6. पर्यावरणीय निर्बाधन प्रमाणपत्र एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दी गयी अनुमति में स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज निष्कर्षण के लिये ₹ 213.32 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

7. वाणिज्यकर विभाग के द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिये एक विस्तृत जाँच सूची का निर्धारण नहीं करने के कारण 108 व्यवसायियों द्वारा क्रय/ विक्रय का छिपाव किया गया जिसे निर्धारण प्राधिकारियों को पता नहीं चला, परिणामस्वरूप ₹ 405.37 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

8. परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर में अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का अपर्याप्त मानचित्रण के कारण वाहन के स्वामित्व की तिथि के बदले वाहनों के निबंधन की तिथि से करारोपण एवं परिवहन वाहनों (एम्बुलेन्स) को गैर परिवहन वाहनों के रूप में निबंधन और निबंधित लदान क्षमता फील्ड में इनपुट नियंत्रण की कमियाँ थी।

9. राज्य की खनिज नीति के बिना झारखण्ड के खनिज संसाधनों (भिन्न-कर राजस्व का 77 प्रतिशत) का तदर्थ आधार पर दोहन जारी रहा।

10. 2011-16 के दौरान कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र 'ओ' और 'पी' नहीं जमा किये जाने का कारण संवेदकों के बिलों से कटौती एवं अंतरित किये गये ₹ 777.69 करोड़ की राशि को खनन विभाग द्वारा स्वीकार किया गया, जबकि खपत खनिजों के खरीद के स्रोत सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

लेखापरीक्षा का प्रभाव:

- इस प्रतिवेदन में दर्शित लेखापरीक्षा अवलोकन के उत्तर में विभाग ने ₹ 8.19 करोड़ (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) और ₹ 88.06 लाख (परिवहन विभाग) वसूली किया; परिवहन विभाग ने वाहन सॉफ्टवेयर के आंतरिक नियंत्रण में कमियों का सुधार किया है।
- खान एवं भूतत्व विभाग ने पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 में उद्धृत अवलोकनों के क्रम में ₹ 448.41 करोड़ वसूल किया।